न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:– 21/2019

तारीख रजू 16.04.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. मधुसूदन मथुरिया पुत्र श्री श्यामसुन्दर मथुरिया निवासी बालेर रोड़ पोस्ट खण्डार जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स मधुसूदन संतोष कुमार पंचायत समिति के सामने पोस्ट खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011
U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006

निर्णय:– दिनांक 14.05.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 25.10.2018 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स– मधुसूदन संतोष कुमार पंचायत समिति के सामने पोस्ट खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां पर मधुसूदन मथुरिया पुत्र श्यामसुन्दर मथुरिया (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) निवासी बालेर रोड पोस्ट खण्डार जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। दुकान की रैक में **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** 965 मिली. की 09 पैक बोतल आमजन को विक्रय हेतु रखी थी, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञापत्र एवं **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** पैक का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति पेश की गई तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** 965 मिली. की 04 बोतले वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 340/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खाद्य**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना) 965 मिली. की 04 बोतलो को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-1524** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता मधुसूदन मथुरिया पुत्र श्री श्यामसुन्दर मथुरिया ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। नूमने के दो सील बंद डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/4206 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 619/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/ 2018/667 दिनांक 06.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का नमूना मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत मधुसूदन मथुरिया पुत्र श्री श्यामसुन्दर मथुरिया मैसर्स मधुसूदन संतोष कुमार पंचायत समिति के सामने पोस्ट, खण्डार जिला सवाई माधोपुर को फर्म मालिक एवं खाद्य पदार्थ के क्रय बिल की सूचना हेतु पत्र लिखे गये जिनका मधुसूदन मथुरिया पुत्र श्री श्यामसुन्दर मथुरिया मैसर्स मधुसूदन संतोष कुमार पंचायत समिति के सामने पोस्ट खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं भिजवाया । उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने मिसब्राण्ड प्रकृति की **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है एवं अभियुक्त ने **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का क्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 2 (d) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है एवं अभियुक्त ने **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का क्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 2(d) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की दुकान से **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी ने कम्पनी से जरिये बिल उक्त खाद्य पदार्थ पैक अवस्था में क्रय किया है तथा उसी अवस्था में विक्रय करते हैं। आवेदक ने फार्म नं0 5ए में फर्म का नाम पता अंकित किया है फिर भी प्रकरण में कम्पनी को आवेदक ने जानबूझकर पार्टी नहीं बनाया गया है जबकि प्रकरण में मुख्य जिम्मेदारी कम्पनी की है। आवेदक ने प्रार्थी से ना तो बिल मांगा और ना ही निर्माता कम्पनी को पार्टी बनाया है। अन्त में अभियुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 619/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/667 दिनांक 06.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है एवं अभियुक्त ने **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का क्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 2(d) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) एवं धारा 27 की उपधारा 2(d) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 एवं 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का विक्रय व निर्माण करने पर एवं **खाद्य पदार्थ ब्लेंन्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (पीला है सोना)** का क्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 एवं 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **14.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर